तत्काल सचना के अधिकार

TEST TO THE POPULATION OF THE

सं0 17014/02/2014—बी०एम0—VI गृह मंत्रालय सीमा प्रबंधन विभाग (एन0डी०सी०सी0—II बिल्डिग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च'2014

सेवा में,

-7 MAR 22"

श्री श्याम सुन्दर शर्मा,

C/o सुचना का अधिकार टास्क फोर्स कार्यालय,
मे0 खलील शर्की, निकट—अम्बा टाकीज मोड़,
शाहजहाँपुर
उत्तर प्रदेश।

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत गांगी गई सूचना

महोदय.

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका आवेदन दि. 14.01.2014 जो इस विभाग को पी0पी0 विभाग, के पत्र सं0 VI.23014/132/2013-VS दिनांक 04.03.2014 के मार्फत दिनांक 05.03.2014 को प्राप्त हुआ है। जिसमें आपके द्वारा आर0टी0आई0 एक्टिविस्टों की सुरक्षा से सबंधित सूचना मांगी है।

- 2. सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय का कार्य सीमा पर आधारभूत संरचना से सबंधित है, अतः आपके द्वारा मांगी गई सूचना, अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय सूचना अधिकारी से सबंधित नहीं है, इसलिए यह सूचना शून्य समझी जाए।
- 3. यदि आप उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते है—

श्री संजय कुमार मिश्रा, सं० सचिव व अपीलिय अधिकारी, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, एन०डी०सी०सी०—II बिल्डिगं, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली

de

(रईस अहिंगाड़े) 2014 निदेशक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (बी०एम०—1)

प्रतिलिपीः श्री एस० समन्ता, अवर सचिव, सुचना के अधिकार अनुभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।

P. BOOK. NO. 04/14

R-17/DIR BM-1/2014 05/03

(3)

85 BMUTHY 5/3Jan 35(2)

No.VI.23014/132/2013-VS Government of India Ministry of Home Affairs (PP Division) By Speed Post
RTI Matter
(To be issued in Hindi)

NDCC-II Building, 3rd Floor, Jai Singh Road, New Delhi Dated:4th March, 2014

To

Shri Shyam Sunder Sharma, C/o Right to Information, Task Force Office, Md. Khalil Sharki, Near Amba Talkies Mode, Shahjahanpur.

Subject:

Application under the RTI Act-2005.

Sir,

Please refer to your online RTI application dated I4.01.2014 received in this unit on on transfer on 13.02.2014.

- 2. With reference to point Nos.(1) to (4) of your application, it is stated that the responsibility for providing security to individuals, including RTI Activists, rests primarily with the State Government concerned, in whose jurisdiction such individual is ordinarily resident or happens to be. The security is provided on the basis of threat assessment carried out by the security agencies. Security to an individual is not provided solely on the basis of his/her being a RTI Activist etc. However, information sought by you may be related to CS Division, MHA and DOP&T. A copy of your RTI application has already been forwarded to DOP&T vide RTI Cell, MHA's OM No.A-43020/01/2014 dated 10.02.2014. A copy of your application is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act-2005 to CS Division, MHA for providing requisite information directly to you.
- 3. With regard to point No.(5) of your application, it is stated that this unit has not issued letter dated 24.06.2013 referred to by you. However, a copy of your application is being forwarded to all CPIOs of MHA for providing requisite information directly to you, if any, available with them.
- 4. As regards point No.(6) of your application, it is stated that the subject matter may be related to Government of U.P. Accordingly, a copy of your application is also being forwarded to Government of U.P. You are requested to approach PIO of State Government of U.P. for the requisite information.
- 5. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110 001.

2/3/14.

Yours faithfully,

(Girish Kumar) Director (VS) & CPIO Tele:23438120

Fax:011-23438077

Copy to:

- Shri K. Murlidharan, Director(CS) & CPIO, CS Division, MHA, NDCC-II Building, New Delhi along with a copy of RTI application dated 14.01.2014 of Shri Shyam Sunder, Sharma for further necessary action.
- 2. Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow along with a copy of RTI application of Shri Shyam Sunder Sharma.

Copy transferred under Section 6(3) of the RTI Act-2005 to:

All CPIOs of MHA (Proper) as per list enclosed.

सेवा मे

मा० जनसूचना अधिकारी / गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

पत्रांक स0-5 3/ सू०अ०अधि०-2005 / शाहजहाँपुर

2014 JAN 2014 दिनाक-14 जनवरी, 2014

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन:-

निवंदन है कि प्रार्थी की जानकारी में आया है कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त कतिपय प्रदेशों में आर0टी0आई0 एक्टिविस्टों के ऊपर हमले की घटनाओं को महोदय, दृष्टिगत कर आर0टी0आई० एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रार्थी भी आर०टी०आई० एक्टिविस्ट है जिस कारणं प्रार्थी को उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित निम्न जानकारी की आवश्यकता है।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 6(1) के तहत दी गई निर्धारित अविध

मे निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करे।

वांछित शुल्क 10/-रू० हेतु पाँच रूपये मूत्य के दो पोस्टल आर्डर सं०-रूप में सलग्न है।

आपेक्षित सूचना का विवरण:-

1. आर०टी०आई० एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से आज दिनांक तक किस–किस दिनांक को किस–किस नाम के अधिकारीयो द्वारा आदेश \ पारित किये गये बताते हुए पारित आदेशों की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियों में

आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेशों का प्रभाव क्या सम्पूर्ण भारत वर्ष

3. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेशों का प्रभाव यदि किसी प्रदेश में | में हैं अथवा किसी प्रदेश में बताने की कृपा करे।

हि नहीं है तो उस प्रदेश का नाम बताने की कृपा करे। 4. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो पर होने वाले हमलो से एक्टिविस्टो को किस प्रकार की सुरक्षा ।

उपरोक्त आदेश से प्राप्त होगी बताने की कृपा करे। 5. गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को आर०र्टा०आई० एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित | आदेश की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियो में उपलब्ध कराने की कृपा करे।

6. क्या उत्तर प्रदेश में आर०टी०आई० एक्टिविस्टों से सम्बन्धित जनपद वार लिस्ट बनाई गयी १ है। यदि हों तो उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर आर०टी०आई० एक्टिविस्टो से सम्बन्धित लिस्ट की छाया प्रति को दो प्रतियों में प्रमाणित कर उपलब्ध कराने की कृपा

करें।

ा उवत पोस्टल आर्डर मूल रूप मे। नोट:-यदि प्रार्थी द्वारा मांगी जा रही सूचना या उसके किसी अंश का सम्बन्ध किसी अन्य हो लोगं / प्राधिकरण सू0अ0अधि0-2005 की धारा 6(3) के नियमानुसार कीर्यवाही करने की करे।

C/o सूचना का अधिकार टास्क फोर्स कार्यालय, मों० खलील शर्की, निकट-अम्बा टाकीज मोड, शाहजहाँपुर